हरियाणा पंचायती राज में निर्विरोध चुनाव–एक विश्लेषण

शोध निर्देशिका

डॉ. मीनू
सहायक प्रोफेसर
राजनीतिक विज्ञान विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
अस्थल बोहर, रोहतक

शोधकर्त्ता

अजय कुमार
राजनीतिक विज्ञान विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
अस्थल बोहर, रोहतक

शोध आलेख सार :

पचायती राज लोकतन्त्र की आधारशिला है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोतान्त्रिक देश है जिसका विकास गाँव से होकर गुजरता है क्योंकि देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव के समस्त विकास की बागडोर पंचायत पर ही निर्भर करती है अतः पंचायती राज प्रणाली देश को सुदृढ़ व समृद्ध बनाने हेतू अत्यंत आवश्यक है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है जब तक देश के असख्य निर्धन परिवारों तक विकास का वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता। अतः देश के स्वार्गिव विकास एवं ग्रामवासियों के चहूँमुखी विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना अति आवश्यक है और यदि यही पंचायत पढ़ी लिखी होने के साथ–साथ निर्विरोध चुनी जाऐ तो देश की समृद्धि व खुशहाली को चार चाँद लग जाऐंगे।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा नवीन नहीं है संस्था के रुप में पंचायती राज पद्धति का हमारे देश में लम्बा इतिहास है वास्तविकता यह है कि भारत में पंचायती राज की जड़े बेहद गहरी है प्राचीन काल से ही हमारे समाज में पंचायतों का बोलबाला रहा है हालांकि तब उसे पचायती राज पद्धति के नाम से न जानकर भिन्न–भिन्न कालो भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता था पंचायती राज

व्यवस्था ने मुगल काल व ब्रिटिश काल में भी अपने अस्तित्व को बनाऐ रखा। वैदिक काल के प्रारम्भ से लेकर ब्रिटिश काल तक पंचायतों ने हमारे गाँवों और उनकी जरुरतों की देखभाल की है हमारा राष्ट्र स्वरुप में मुख्यतः ग्रामीण है और विकास के केन्द्र गाँव ही है अतः गाँव के विकास के लिए पंचायती राज का होना अति आवश्यक है।

मूल शब्द : पंचायती राज, निर्विरोध चुनाव।

भूमिका

हरियाणा में सम्पन पाँचवे पंचायत आम चुनाव ने एक साथ कई नई इबारत लिखकर देश की राजनीति को नया समाजशास्त्र दिया है। नव निर्वाचित पंचायती राज को पढ़ी–लिखी सरकार कहा जाऐ या नई पीढ़ी की सरकार, महिलाओं की सरकार मानी जाऐ या सामाजिक समरसता की सरकार, चाहे जो भी कहा जाऐ लेकिन इससे देश के शासन ये एक नये अध्याय का आयाम हुआ है। अचरत की बात यह है कि ये सारी उपमाएं ऐसी धरती से सम्बन्ध रखती है जहां चौधर के लिए खून की नदियां बहती रही है जहां लिंगानुपात की खाई चौड़ी होती रही है जहां की खाप पंचायते तगलकी फरमान सुनाती रही है उस धरा पर गांधीगिरी के रास्ते हिंसा को परास्त करना, गोत्र विवाद को परे हटाना और भाईचारे के कई नूतन अध्याय जोड़ना निःसंदेह ही प्रवेश सरकार की बेहतरीन सोच का अनुपम उदाहरण है क्योंकि कहीं पर भारी वोटो के साथ पढ़ी लिखी पंचायत चुनी गई है तो कहीं पर बिना चुनाव के ही सुयोग्य, शिक्षित व ईमानदार उम्मीदवारों को जनता ने बिना खर्चे व बिना चुनाव के ही अपनी आम सहमति के साथ निर्विरोध सरपंच व पंच का ताज पहनाते हुए प्रदेश की राजनीति में आपसी भाईचारे, सहयोग व सहिष्णुता की एक नई मिला कायम की।

हरियाणा में पंचायती राज

1 नवम्बर 1966 को सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के मानत्रि पर हरियाणा राज्य का उदय हुआ इससे पहले यह पंजाब प्रान्त का हिस्सा था। 1966 में पंजाब प्रान्त को दो हिस्सों में बाँट दिया गया और एक नये राज्य का उदय हुआ। पंजाब प्रान्त के 7 जिलों को मिलाकर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा में भी पंजाब की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया गया लेकिन कुछ समय के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इसके लिए उत्तरदायी कारण, इन संस्थाओं पर नौकरशाही का प्रभुत्व, वित का आभाव, राज्य स्तर के नेताओं की राजनीतिक इच्छा का आभाव माना गया।

राज्य सरकार ने 1972 में स्थानीय स्वशासन की समस्याओं व कठिनाईयों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष माण्डू मलिक को बनाया गया समिति की सिफारिश के आधार पर 1973 में जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया और पंचायती राज अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया तब से लेकर (1992) हरियाणा में यही व्यवस्था रही है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुख्य बिन्दु

हरियाणा में पंचायती राज का आधार भाई–चारा, पंचायत की प्रारंभिक प्रणाली है। पंचायती के चुनाव लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के आधार स्तम्भ है। 73वें संविधान संविधान संशोधन 1992 के अनुरुप 22 अप्रैल 1994 को एक नया 'हरियाणा पंचायती राज अधिनियम' लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने नये अधिनियम के अनुसार तीनो स्तरों पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई तथा प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की ईकाईयों और पंचायती राज संस्थाओं

को सुदृढ़ता प्रदान की गई पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित थी।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद।
2. ग्राम पंचायतों का गठन कम से कम 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में किया जाऐगा।
3. ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा जनसंख्या के आधार पर कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 पंच होंगे।
4. गाँवों को वार्डो में बांट कर मतदाताओं द्वारा पंचों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का सीधा चुनाव किया जाऐगा।
5. महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर कुछ पदों में से एक तिहाई का आरक्षण किया जाऐगा।
6. अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न पदों और सदस्यता का आरक्षण किया गया है।
7. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा व समय से पहले भंग होने पर 6 माह में दोबारा चुनाव करवाये जाऐंगे।

निर्विरोध चुनाव व सदस्य : परिचय

पंचायती राज प्रणाली देश को सुदृढ़ व समृद्ध बनाने हेतू अत्यन्त आवश्यक है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है अतः कहा जा सकता है कि गाँव के विकास की बागडोर पंचायत के हाथ में ही होती है और यदि उसी पंचायत के सदस्य निर्विरोध चुन लिये जाऐ तो यह सोने पर सुहागा होगा।

भारत में सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने का इतिहास काफी पुराना है। केवल पंचायती राज में ही नहीं बल्कि लोकसभा, राज्यसभा व दुसरी संस्थाओं व संगठनों में भी निर्विरोध सदस्यों का चुना जाना काफी प्रचलित है भारत के उपरी सदन राज्य से 2013 में डॉ. मनमोहन सिंह को निर्विरोध चुना गया था ठीक इसी प्रकार लोकसभा से 2012 में श्रीमति डिम्पल यादव को निर्विरोध चुना गया था। इससे पहले 1952 के लोकसभा चुनाव में 10 सांसदों व 1957 के चुनाव 11 सांसदों को आपसी सहमति से निर्विरोध चुना गया था आज देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत व्यवस्था के सदस्यों को निर्विरोध चुना जाना काफी प्रचलित हो गया है।

दरअसल सरपंच व पंच लोकतन्त्र के बुनियाद होते है हमारे देश में पंच को परमेश्वर के बराबर माना जाता है स्वाभाविक है कि इन पदों पर शिक्षित व निर्विरोध उम्मीदवार चुने जाने से गाँव का विकास पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित होने की पूरी सम्भावना रहती है। इस पर पहल हरियाणा सरकार ने की और हरियाणा सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए जनता ने भी अभूतपूर्व समझ का परिचय दिया, कही भर भारी वोटों के साथ पढ़ी लिखी पंचायते चुनी गई तो कही पर बिना चुनाव के ही सुयोग्य, शिक्षित व ईमानदार उम्मीदवारों को जनता के बिना खर्चे व चुनाव के ही अपनी आपसी सहमति के साथ निर्विरोध सरपंच व पंच का ताज पहनाकर प्रदेश की राजनीति में आपसी भाईचारे, सहयोग व सहिष्णुता का अनोखा परिचय दिया।

निर्विरोध चुनाव जमीनी स्तर पर लोकतन्त्र का सबसे बड़ा पहलू है हरियाणा के पूर्व मुख्यमन्त्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने निर्विरोध पंचायत चुने जाने पर व उनको बढ़ावा देने के लिए पंचायत को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। जिसे वर्तमान सरकार भी अपने स्तर पर बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार के इस महान कदम से लोकतान्त्रिक समाज में आपसी भाई–चारे, सहयोग व सौहर्दय की भावना काफी फलीभूत हो रही है।

पाँचवे पंचायत आम चुनाव फरवरी 2016 में आयोजित हुए जिसमे 6186 सरपंच व 60346 पंचों का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जनता ने 271 सरपंचों व

38555 पंचों को बिना चुनाव के ही आपसी सहमति से चुना। सरकार ने भी इस पहल व परम्परा को और अधिक विकसित करने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 11 लाख रूपये कर दिया।

पंचायती राज चुनावों की घोषण के बाद पूरे प्रदेश में सरपंच व पंच चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो जाती है सरपंच व पंच पद के उम्मीदवार गाँव में हर एक घर में जाकर अपना प्रचार–प्रसार करते हैं कहने का अभिप्राय है कि चुनाव जीतने के लिए वह हर प्रकार के हथकंडे जैसे मतदाताओं में पैसे बाँटना, शराब बांटना आदि अपनाते है इसके साथ–साथ जाति के आधार पर भी वोटरों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन आज हमारी जनता इन सब हथकंडो से उपर उठकर आपसी सहयोग, भाईचारे व सहिष्णुता का परिचय देते हुऐ नऐ इतिहास को रच रही है आज बिना किसी विरोध के आपसी सहमति सरपंच व पंचो के अलावा भी दुसरी संस्थाओं के सदस्यों को भी निर्विरोध चुनने की प्रथा कायम हो चुकी है गाँव के सरपंच का ताज बिना किसी मतदान के आपसी सहमति से एक व्यक्ति को बांध दिया जाता है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पंचायते भी है जो आजाी के बाद से निरन्तर निर्विरोध चुनी जाती रही है। जिससे गाँव में आपसी भाईचारे की भावना पनपती है गाँव के विकास के लिए सभी निर्णय आपसी सहमति से लिऐ जाते है जिससे पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है लोगो में आपसी मनमुटाव नहीं होता व युवा पीढ़ी में भी इससे अच्छा संदेश जाता है।

निष्कर्ष

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जिसके लिए प्रत्येक वर्ष छोटे बड़े चुनाव होते रहते है। जिन पर करोड़ो रूपय खर्च होते है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है कई बार ता चुनावी झगड़ो के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है ऐसी स्थिति में निर्विरोध चुनाव लोकतन्त्र के प्रतिबिंब है जिससे न केवल आपसी सहयोग व भाईचारे की भावना पनपती है बल्कि सरकार व उम्मीदवारों के

समय व पैसे की भी बचत होती है इस पकार के चुनाव से देश की खुशहाली, समृद्धि व विकास के क्षेत्र में नऐ आयाम स्थापित होते है अतः सरकार को भी इसे बढ़ावा देने के लिए इसकी तरफ और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. गौतम वीर, पंचायती राज व्यवस्था आमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2. राम जी लाल तथा अन्य (1993) ''राजनैतिक सिद्धान्त और भारतीय लोकतन्त्र'' नटराज पब्लिकेशन हाऊस करनाल।

3. डॉ. अरूण श्रीवास्तव (1994) 'भारत में पंचायती राज' आर.बी.एस.ए. पब्लिर्शस, जयपुर।

4. डॉ. भूपेश मणि त्रिपाठी (2012) 'पंचायती राज व्यवस्था एक परिचय' भारती पब्लिर्शस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली।

5. डॉ. आर.पी. जोशी (1998) 'पंचायती राज के नवीन आयाम' यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर।

6. आर.के. कुण्डू व एस.एल. कुण्डू (2012) 'हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चौथे आम चुनाव में निर्विरोध सदस्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, वॉल न. 1।

समाचार पत्र

दैनिक जागरण, अप्रैल 16, 2010।

दैनिक जागरण, फरवरी 23, 2017।